<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

11 मार्च, 2016

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी; श्री राजीव गौड़ा, सांसद एवं श्रीमति रंजीता रंजन, सांसद ने आज प्रेसवार्ता में निम्नलिखित बयान जारी किया :–

''1. श्री विजय माल्या एवं उनके यूबी ग्रुप ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित सभी बैंकों के 9091 करोड़ रु. का गबन किया है। श्री विजय माल्या पैसा वापस करने की बजाए 2 मार्च, 2016 को सबकी आंखों में धूल झोंककर इंग्लैंड भाग गए।

मोदी सरकार 100 दिनों के अंदर कालाधन वापस लाने के वायदे के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन असलियत में एक ही व्यक्ति सरकार की नाक के नीचे से 9000 करोड़ रु. गबन करके निकल गया और सरकार देखती रह गई। यह सब इसके बावजूद हुआ कि सीबीआई आज से लगभग 7 माह पूर्व 29 जुलाई, 2015 को उनके खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी का अपराधिक मामला दर्ज कर चुकी थी। श्री विजय माल्या से पूछताछ भी की गई लेकिन न तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और न ही उनका पासपोर्ट जब्त किया गया। एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जांच भी की, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं हो सका। उनके खिलाफ सेबी (Security Exchange Board of India) एवं एसएफआईओ (Serious Fraud Investigation Office) ने भी जांच की, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

<u>सामने आए तथ्य साफ करते हैं कि बैंकों का 9000 करोड़ रुपया गबन करने के बाद विजय माल्या को देश से बाहर निकलने में मदद की गई थी। यदि सरकार गुप्त तरीके से या बैंक चैनलों के माध्यम से काम कर रही है, तो इस बात का खुलासा जनता के सामने किया जाना भी सरकार का ही कर्तव्य है।</u>

2. सार्वजनिक कि गए खुलासों में कहा गया है कि सीबीआई ने विजय माल्या को पकड़ने के लिए 12 अक्टूबर, 2015 को सभी हवाईअड्डों एवं देश से बाहर जाने वाले अन्य स्थानों को 'लुक आउट नोटिस' जारी किया था। लेकिन 23 नवंबर, 2015 को सीबीआई ने ही इस 'लुक आउट नोटिस' में संशोधन करके इसे उनकी यात्रा के बारे में ''जानकारी देने वाली सूचना'' के नोटिस में बदल दिया। रिपोर्ट यह भी बताती हैं कि जिस दिन श्री विजय माल्या ने जेट एयरवे के फर्स्ट क्लास में अचानक देश छोड़ दिया, उस दिन भी इमीग्रेशन अधिकारियों ने इसकी सूचना सीबीआई को दी थी, लेकिन सीबीआई ने उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की।

यह सब इसके बावजूद हुआ था कि एसबीआई के नेतृत्व में सभी बैंकों ने डेब्ट रिकवरी ट्राईब्यूनल से श्री विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त करके उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की थी। 28 फरवरी, 2016 को सभी बैंकों को विजय माल्या के देश छोड़ने से पहले उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तत्काल कोर्ट में जाने की सलाह दी गई। सोमवार, 29 फरवरी, 2016 को उन्हें मुकदमा दायर करने के लिए कहा गया। 05 मार्च, 2016 को बैंकों

ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अटॉर्नी जनरल, श्री मुकुल रोहतगी ने 8 मार्च को यह मामला कोर्ट में पेश किया और 9 मार्च को जब यह मुकदमा दायर हो गया, तब उन्होंने सीबीआई के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विजय माल्या ने 2 मार्च, 2016 को देश छोड़ दिया है।

इस पूरे मामले में निम्नलिखित प्रश्नों का कोई जबाव नहीं दिया गया :–

1. दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 को सीबीआई के द्वारा श्री विजय माल्या को पकड़े जाने के लिए जारी किए गए 'लुक आउट नोटिस' को 23 नवंबर, 2015 को मात्र सूचना दिए जाने वाले नोटिस में क्यों बदल दिया गया, जबकि सीबीआई ने 29 जुलाई, 2015 को उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा चुकी थी?
2. दूसरी तरफ 28 फरवरी, 2016 को श्री विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त करने के लिए बैंकों से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने याचिका दायर करने में 5 मार्च, 2016 तक इंतजार क्यों किया। क्या वो श्री विजय माल्या के द्वारा देश छोड़े जाने का इंतजार कर रहे थे?
3. वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली श्री विजय माल्या के खिलाफ कोई केस न होने का झूठा बहाना क्यों बना रहे हैं, जबकि बैंक उनका पासपोर्ट जब्त किए जाने की मांग कर रहे थे; सीबीआई ने 29 जुलाई, 2015 को उनके खिलाफ 'लुक आउट नोटिस' जारी किया था; सेबी, एसएफआईओ– सर्विस टैक्स, ईडी एवं अन्य विभाग उनके खिलाफ जांच एवं कार्यवाही कर रहे थे और यहां तक कि बीजेपी भी उन्हें अपराधी मान रही थी?
4. क्या इन बातों से यह साफ नहीं हो जाता है कि श्री विजय माल्या को बैंकों का 9000 करोड़ रु. लेकर देश से बाहर निकलने में मदद की गई? क्या पर्दे के पीछे सरकार और विजय माल्या के बीच कोई बातचीत चल रही है? यदि हां, तो सरकार ये सभी बातें देश की जनता को क्यों नहीं बता रही है?

3. सबसे बुरी बात यह है कि जब श्री विजय माल्या से पूछताछ की जा रही थी, उस समय भी उन्हें भारत एवं विदेशों में बड़ी रकम मिली। उदाहरण के लिए, लंदन, इंग्लैंड में मुख्यालय वाली ब्रिटिश मल्टीनेशनल अल्कोहलिक ब्रेवरीज़ कंपनी, 'डियागो पीएलसी' ने श्री विजय माल्या को दिनांक 25 फरवरी, 2016 के समझौते के तहत 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। अलग अलग खबरों में बताया गया कि यह पैसा एक ऑफशोर अकाउंट में जमा किया गया है। यह भी बताया गया कि डियागो पीएलसी ने एक साउथ अफ्रीकन ब्रेवरीज़ के अधिग्रहण के लिए दो बार में श्री विजय माल्या को 58 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। यह खबर भी आई कि श्री विजय माल्या की यूबी ग्रुप कंपनी, वाटसन लिमिटेड के द्वारा लिया गया लोन वापस न दिए जाने के कारण 'डियागो पीएलसी' ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को 141 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया। इसके बाद एक खबर यह भी आई कि 'डियागो पीएलसी' के वित्तीय विभाग ने श्री विजय माल्या की यूनाईटेड ब्रेवरीज़ ओवरसीज़ लिमिटेड के द्वारा लिए गए लोन पर पिछली गारंटी के लिए स्टैंडड चार्टर्ड बैंक को 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। यह सारी लेन–देन बिना रोकटोक के चलती रही, जबकि बैंकों के द्वारा दी गई देश के नागरिकों की गाढ़े पसीने की कमाई के 9091 करोड़ रु. का एक पैसा भी वापस नहीं किया गया।

4. यह बात भी ध्यान देने वाली है कि श्री विजय माल्या, वर्ष 2010 में बीजेपी की सपोर्ट से राज्यसभा के एमपी चुने गए थे।

5. देश की जनता जानना चाहती है कि श्री विजय माल्या को देश से बाहर क्यों भागने दिया गया, उनके बाहर निकलने में सरकार और उसकी एजेंसियों की क्या भूमिका है और अब देश के 9000 करोड़ रु. कैसे वापस आएंगे?

क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के 130 करोड़ लोगों को इस बात का जबाव देंगे कि कल उन्होंने राज्यसभा में 'पारदर्शिता और जबावदेही' का जो वायदा किया था, उसका क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में जबावदेही उठाकर सीबीआई, वित्त मंत्रालय, इमीग्रेशन अधिकारियों और बैंकों सहित सभी दोषियों को सजा देंगे?

6. आज भी वित्त मंत्रालय के अधिकारी यही कह रहे हैं कि यदि श्री विजय माल्या दोषी पाए जाते हैं, तो वो उनके प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू करेंगे। क्या उन अधिकारियों को यह नहीं पता है कि आरोप सिद्ध करने एवं प्रत्यर्पण में सालों का समय लगता है? क्या यह मामला भी भगोड़े ललित मोदी जैसा है, जिसमें विजय माल्या को देश के लोगों के पसीने की गाढ़ी कमाई विदेशों में खुलेआम ले जाने में मदद की गई है? क्या वित्त मंत्री इस बात का जबाव देंगे कि ललित मोदी के प्रत्यर्पण का क्या हुआ? क्या मोदी सरकार लंदन से विजय माल्या के प्रत्यर्पण की शुरुआत करेगी या फिर अगर सरकार सच में देश का पैसा वापस लाना चाहती है, तो उन्हें जल्दी वापस लाए जाने के लिए वहां से देश निकाला दिलाए जाने का प्रयास करेगी? देश की जनता मोदी सरकार से इन सब प्रश्नों के उत्तर बिना लीपापोती के साफ–साफ चाहती है।''